Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES (×3)

प्र/निगरानी/मुरैना/भू-रा/2017/2323

(74)

श्रीमान राजस्व म... मण्डल ग्वालियर

...11/नि0/मुरैना/भू0रा0/2017

श्री ओमकृष्णशर्मा अभिभाषक
द्वारा आज दि. 21/7/17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

वासुदेव पुत्र मटरेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जेवराखेडा तह0 व जिला मुरैना म0प्र0 ....आवेदक

बनाम

1—औमप्रकाश पुत्र मटरेलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जेवरा खेडा तह0 व जिला मुरैना म0प्र0

2—मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदक

... विरूद्ध आदेश दिनांक ... / ... / 2017

... श्रीमान तहसीलदार ...

... प्र0क0 03 / 16—17 \ अ / ... निगरानी

... धारा 50 मध्यप्रदेश भू ... संहिता ...

श्रीमान ...

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है —

1. यह कि ग्राम जेवराखेडा तह0 व जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 275 रकवा 0.060, सर्वे क0 276 रकवा 0.220, सर्वे क0 400 / 2 रकवा 0.160, सर्वे क0 401 / 2 रकवा 0.080, सर्वे क0 408 / 1 रकवा 0.290,कुल किता 5 कुल रकवा 0.810 के आवेदक व अनावेदक सह स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2. यह कि आवेदक व अनावेदक के मध्य 30 वर्ष पूर्व हुए घरू बटबारा अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

3. यह कि आवेदक व अनावेदक के मध्य हुए घरू बटबारा द्वारा सर्वे क0 275 / 1 रकवा 0.060, सर्वे क0 276 रकवा 0.220, सर्वे क0 401 / 2 रकवा 0.080, भूमिया अनावेदक औमप्रकाश को मिली तथा सर्वे क0 408 / 1 रकवा 0.290, सर्वे क0 400 / 2 रकवा 0.160 आवेदक वासुदेव को घरू बटबारा में मिली।

4. यह कि भूमि की कीमत बढ जाने के कारण अनावेदक के मन में बध्यान्ती आ जाने से उक्त विवादित भूमि का बटबारा करने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 178 म0प्र0भू0रा0 संहिता का तहसीलदार महोदय मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्र0क0 03 / 16—17 \ अ / 27 पर पंजीबद्ध किया जाकर पटवारी मौजा को फर्द बटवारा मौके के अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क0 तीन / निगरानी / मुरैना / भूरा / 2017 / 2323

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.10.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि प्रकरण को अब वह आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः आवेदक को प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। सदस्य	